संख्या-69/2021 फाइल संख्या-71-1001/85/2020-1-1/60775/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 25 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल कालेज, आगरा में सर्जरी एवं एलाईड स्पेशिलिटी ब्लाक के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एमई/बजट/2020-21/311,दिनॉक 23.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, आगरा में सर्जरी एवं एलाईड स्पेशिलिटी ब्लाक के निर्माण की मूल लागत रू0 7864.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1755/71-1-12-जी-205/2007, दिनॉक 10-10-2012 में निर्गत की गयी थी। पुन: वास्तविक कार्यक्षेत्र में हुई वृद्धि एवं लागत दरों के पुनरीक्षित होने के कारण शासनादेश संख्या-116/2015/1093/71-1-15-जी-205/2007, दिनॉक 22-05-2015 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 8795.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 8795.96 लाख के सापेक्ष अब तक कुल 8356.16 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके उक्त पत्र के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्युलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 412.45 लाख (रू0 चार करोड़ बारह लाख पैतालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020, 11.04.2020, 29.09.2020 एवं 20.01.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक /प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7- विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्थ को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।"
8- शासनादेश संख्या-1755/71-1-12-जी-205/2007, दिनॉक 10-10-2012 एवं शासनादेश संख्या-116/2015/1093/71-1-15-जी-205/2007, दिनॉक 22-05-2015 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020, दिनॉक 20 जनवरी, 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग-4/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।